Drishti IAS

करेंट अफेयर्स राजस्थान

फरवरी (संग्रह)

2024

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

राजस्थान **3**

- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 3
- राजस्थान प्रेरणा स्कूल शुरू करेगा 4
- राजस्थान सरकार ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को महाधिवक्ता नियुक्त किया 4
- संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर में राजस्थान कारीगरों का शिल्प 5
- राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) की योजना बनाई 6
- राजस्थान ने नए एक्सप्रेस-वे की पहचान के लिये टास्क फोर्स नियुक्त की 7
- किसान साथी' पोर्टल 7
- वायु शक्ति 2024 7
- भारतीय रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने वाली परियोजनाएँ 8
- राजस्थान अंतरिम बजट 9
- राजस्थान सरकार ने मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की 10
- जल जीवन मिशन(JJM) 10
- भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस नीति 11
- राजस्थान में कथित सामूहिक धर्मांतरण के प्रयास के आरोप में ईसाई धर्म प्रचारक गिरफ्तार 11
- राजस्थान में पैनल गठित 12
- प्रधानमंत्री ने राजस्थान में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया 13
- प्रधानमंत्री ने राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी 14
- राजस्थान के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य 14
- सड़क अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु वित्तीय विकल्प 15
- भारत-जापान: धर्म गार्जियन 16

नोट :

राजस्थान

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के लिये एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये।

मुख्य बिंदु:

- MoU राजस्थान के 13 ज़िलों में पेयजल और सिंचाई की उपलब्धता का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को बदलने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा।
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP), एक महत्त्वाकांक्षी पेयजल और सिंचाई जल परियोजना की घोषणा राज्य सरकार द्वारा राज्य बजट 2017-18 में पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िलों में पीने तथा सिंचाई के जल की समस्या के स्थायी समाधान के रूप में की गई थी।
  - इन ज़िलों में झालावाड़, बारां, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर और धौलपुर शामिल थे।
- ERCP का उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में चंबल, कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध सहित इसकी सहायक नदियों में बरसात के मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त जल का संचयन करना और इस जल का उपयोग राज्य के दक्षिण-पूर्वी ज़िलों में करना है, जहाँ पीने तथा सिंचाई के लिये जल की कमी है।
- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2051 तक दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानव तथा पशुधन हेतु पीने के जल तथा औद्योगिक गतिविधियों हेतु जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है।

चंबल नदी

- परिचय: यह 960 किमी. लंबी नदी है जो विंध्य पर्वत (इंदौर, मध्य प्रदेश) के उत्तरी ढलानों में सिंगर चौरी चोटी से निकलती है। वहाँ से यह मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा में लगभग 346 किमी. तक बहती है और फिर राजस्थान में प्रवेश कर 225 किमी. उत्तर-पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है।
  - यह यू.पी. के इटावा ज़िले में यमुना नदी में मिलने से पहले लगभग 32 किमी. तक बहती है।
  - यह एक वर्षा सिंचित नदी है और इसका बेसिन विंध्य पर्वत शृंखलाओं तथा अरावली से घिरा हुआ है। चंबल और उसकी सहायक नदियाँ उत्तर-पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बहती हैं।
  - राजस्थान में हाडौती/हाड़ौती का पठार (Hadauti Plateau) चंबल नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र मेवाड़ मैदान के दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
- सहायक नदियाँ: बनास, काली सिंध, पार्वती आदि।
- मुख्य विद्युत परियोजनाएँ/बाँध: गांधी सागर बाँध, राणा प्रताप सागर बाँध, जवाहर सागर बाँध और कोटा बैराज।
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ट्राई-जंक्शन पर चंबल नदी के किनारे स्थित है। यह गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियाल, रेड क्राउन रूफ टर्टल और लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन के लिये जाना जाता है।

नोट :

राजस्थान प्रेरणा स्कूल शुरू करेगा

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार गुजरात के मेहसाणा ज़िले के अनुभव से सीख लेते हुए प्रेरणा स्कूल विकसित करने की योजना बना रही है।

मुख्य बिंदु:

- इसका उद्देश्य छात्रों को विभिन्न छात्रों के साथ बातचीत करके तकनीकी प्रगति, जीवन कौशल और अन्य कौशल के विषय में सीखना है।
- शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल, प्रेरणा: एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, उन्हें नेतृत्व गुणों के साथ सशक्त बनाना है।
- प्रेरणा कार्यक्रम वर्तमान में गुजरात के एक स्थानीय स्कूल में चल रहा है, जो कक्षा IX से XII के चयनित छात्रों के लिये एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम है।
- यह सर्वोत्तम श्रेणी की तकनीक वाले छात्रों के लिये एक अनुभवात्मक और प्रेरणादायक शिक्षण कार्यक्रम है जहाँ विरासत नवाचार से मिलती है।
- इस पहल के लिये, देश के विभिन्न हिस्सों से हर हफ्ते 20 चयनित छात्र जिनमें 10 लड़के और 10 लड़कियाँ शामिल हैं, कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस स्कूल के लिये पाठ्यक्रम IIT द्वारा तैयार किया गया है।

राजस्थान सरकार ने राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को महाधिवक्ता नियुक्त किया

चर्चा में क्यों ?

3 फरवरी 2024 को, राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया।

मुख्य बिंदु:

- राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जनवरी 2014 से जनवरी 2019 तक अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) थे।
- वकालत के क्षेत्र में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है और वे वर्ष 1985 से उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में वकालत कर रहे हैं।
- वह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर के अकादमिक सदस्य हैं। उन्होंने एलएलबी की डिग्री हासिल करने के अलावा सीए भी किया है।
- महाधिवक्ता की नियुक्ति में देरी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है।

राज्य के महाधिवक्ता

- राज्य के महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत विधिवत नियुक्त एक संवैधानिक पद और प्राधिकारी है। यह राज्य में सर्वोच्च कानून अधिकारी के रूप में कार्य करता है।
  - इस अनुच्छेद के तहत, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य है।
- राज्य से जुड़े सभी मामलों में महाधिवक्ता राज्य की ओर से न्यायालय में उपस्थित होता है।
- महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्रों को संबोधित करने और उनमें भाग लेने का हकदार है तथा सदस्य नियुक्त होने पर उसे राज्य विधानमंडल की किसी भी समिति की गतिविधियों में भाग लेने का विशेषाधिकार है।
- लेकिन उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है।

नोट :

अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG)

- अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) एक कानूनी अधिकारी होता है जो भारत में किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के महाधिवक्ता (AG) की सहायता करता है।
- AAG की नियुक्ति AG की सिफारिश पर राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- AAG, AG द्वारा उसे सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करता है, जैसे- राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में उपस्थित होना, कानूनी राय देना और दलीलों का मसौदा तैयार करना।

संयुक्त अरब अमीरात के पहले हिंदू मंदिर में राजस्थान कारीगरों का शिल्प

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के मकराना के गाँवों के कारीगर गौरवान्वित हो रहे हैं क्योंकि उनके शिल्प को अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर में जगह मिली है, जिसका उद्घाटन होने वाला है।

मुख्य बिंदु:

- मंदिर का निर्माण BAPS स्वामीनारायण संस्था द्वारा दुबई-अबू धाबी शेख जायद राजमार्ग पर अल रहबा के पास अबू मुरीखा में 27 एकड़ की जगह पर किया जा रहा है।
- मंदिर के अग्रभाग पर बलुआ पत्थर की पृष्ठभूमि पर उत्कृष्ट संगमरमर की नक्काशी है, जिसे राजस्थान और गुजरात के कुशल कारीगरों द्वारा पत्थर के 25,000 से अधिक टुकड़ों से तैयार किया गया है।
  - मंदिर के लिये बड़ी संख्या में गुलाबी बलुआ पत्थर उत्तरी राजस्थान से अबू धाबी ले जाया गया था।
- वास्तुशिल्प में दो घुमट (गुंबद), सात शिखर (शिखर) शामिल हैं जो संयुक्त अरब अमीरात के सात अमीरात, 12 समरन (गुंबद जैसी संरचनाएँ) और 402 स्तंभों का प्रतीक हैं।
- प्रत्येक शिखर के भीतर, जटिल नक्काशी ,रामायण, शिव पुराण, भागवतम और महाभारत की कहानियों के साथ-साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान स्वामीनारायण, भगवान वेंकटेश्वर तथा भगवान अयप्पा की कहानियों को दर्शाती है।
- 'डोम ऑफ हार्मनी' पाँच प्राकृतिक तत्त्वों- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष के सामंजस्य का एक अनूठा चित्रण करता है।
- दृढ़ता, प्रतिबद्धता और सहनशक्ति का प्रतीक ऊंट को भी संयुक्त अरब अमीरात के परिदृश्य से प्रेरणा लेते हुए नक्काशी में उकेरा गया है।

गुलाबी बलुआ पत्थर

- बलुआ पत्थर एक तलछटी चट्टान है जो मुख्य रूप से 2 मिमी. से 120 मिमी. तक के विभिन्न संरचनाओं के आकार के रेत के कणों से बनी होती है। रेत में अंतरालीय सीमेंटिंग सामग्री के साथ क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अन्य डेट्राइटल खनिजों के कण शामिल हो सकते हैं।
- बलुआ पत्थर का गुलाबी रंग मुख्यत: आयरन ऑक्साइड खनिजों की उपस्थिति के कारण होता है।
- अन्य बलुआ पत्थरों की तरह, गुलाबी बलुआ पत्थर मुख्य रूप से रेत के कणों से बना होता है, जो क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और अन्य खनिज हो सकते हैं।
- इन अनाजों को एक साथ बाँधने वाला सीमेंटिंग पदार्थ कैल्साइट, सिलिका या आयरन ऑक्साइड हो सकता है।
- गुलाबी बलुआ पत्थर भारत में मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाया जाता है।
- उल्लेखनीय स्थानों में राजस्थान का धौलपुर शामिल है, जो अपने धौलपुर गुलाबी बलुआ पत्थर के लिये जाना जाता है; जोधपुर, राजस्थान, जोधपुर गुलाबी बलुआ पत्थर का उत्पादन; गुजरात में भुज, भुज गुलाबी बलुआ पत्थर के लिये प्रसिद्ध; और मध्य प्रदेश में शिवपुरी, जहाँ शिवपुरी गुलाबी बलुआ पत्थर का उत्पादन होता है।

नोट :

बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था

- यह स्वामीनारायण संप्रदाय के भीतर एक हिंदू संप्रदाय है।
- इसका गठन वर्ष 1905 में यज्ञपुरुषदास द्वारा उनके दृढ़ विश्वास के बाद किया गया था कि स्वामीनारायण गुणातीतानंद स्वामी से शुरू होने वाले गुरुओं की एक वंशावली के माध्यम से पृथ्वी पर मौजूद रहे।

राजस्थान सरकार ने समान नागरिक संहिता (UCC) की योजना बनाई

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हिया लाल चौधरी ने राज्य विधानसभा को सूचित किया कि सरकार जल्द ही समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश करेगी।

मुख्य बिंदु:

- प्रस्तावित UCC विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक और संपत्ति की विरासत से संबंधित समान कानून स्थापित करना है। इसका उद्देश्य धार्मिक तरीकों से बहुविवाह और तलाक जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाना है।
- उत्तराखंड की तर्ज़ पर, राजस्थान UCC विधेयक आदिवासी समुदाय को छूट देगा, क्योंकि उन्होंने अपने रीति-रिवाज़ों और प्रथाओं को असंगत बताते हुए गंभीर आपत्तियाँ उठाई हैं।

समान नागरिक संहिता (UCC)

- समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व (Directive Principles of State Policy- DPSP) का अंग है।
- ये निदेशक तत्त्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, लेकिन नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करते हैं।
  - UCC का कुछ लोगों द्वारा राष्ट्रीय अखंडता और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में समर्थन किया जाता है तो कुछ लोगों द्वारा इसे धार्मिक स्वतंत्रता तथा विविधता के लिये खतरा बताकर इसका विरोध किया जाता है।
- भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। वर्ष 1961 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्रता के बाद गोवा ने अपने सामान्य पारिवारिक कानून को बनाये रखा, जिसे गोवा नागरिक संहिता (Goa Civil Code) के रूप में जाना जाता है।
  - हाल ही में उत्तराखंड ने भी राज्य विधानसभा में UCC बिल पेश किया है।
- शेष भारत में धार्मिक या सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉज़ (personal laws) का पालन किया जाता है।

नोट :

राजस्थान ने नए एक्सप्रेस-वे की पहचान के लिये टास्क फोर्स नियुक्त की

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने यातायात की तेज़ आवाजाही के लिये अधिक शहरों को सड़कों के नेटवर्क से जोड़ने के लिये नए एक्सप्रेस-वे की पहचान करने हेतु एक टास्क फोर्स नियुक्त की है।

मुख्य बिंदु:

- नए एक्सप्रेस-वे व्यक्तियों और वस्तुओं के निर्बाध परिवहन की सुविधा प्रदान करेंगे तथा राज्य में मार्गों पर पर्यटन एवं आर्थिक विकास को बढ़ाएँगे।
- टास्क फोर्स नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण की संभावनाओं पर गौर करने के बाद छह माह के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
  - वे अपने कार्य के निष्पादन के दौरान विषय विशेषज्ञों की राय लेंगे।

किसान साथी' पोर्टल

चर्चा में क्यों ?

कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) के उपयोग के साथ, 'किसान साथी' पोर्टल ने राजस्थान में किसानों के लिये एकल खिड़की मंच के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया है।

मुख्य बिंदु:

- IT अनुप्रयोगों ने कृषकों के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं आवेदन करने और उन्हें उपलब्ध लाभों की निगरानी करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है।
- राज्य कृषि आयुक्त के अनुसार, अब तक 12 लाख से अधिक किसानों ने वेब पोर्टल का उपयोग किया है और कृषि, बागवानी, पशुपालन एवं कृषि विपणन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं।
  - कागज़ रहित कार्य से प्रक्रिया में तेज़ी आई और प्रणाली में पारदर्शिता आई।
- किसान साथी पोर्टल ने लगभग तीन लाख किसानों को ₹1,600 करोड़ के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है, जबकि ऑनलाइन सत्यापन की मदद से बड़ी संख्या में बीज, उर्वरक और कीटनाशक बेचने के लाइसेंस जारी किये गए हैं।
- "कृषि करने में आसानी" की पहल के रूप में वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया पोर्टल कृषक समुदाय के लिये क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है।
- किसानों के लिये विकसित किये गए मोबाइल ऐप्स ने उन्हें कृषि उपज के खरीदारों से जोड़ने हेतु नए प्लेटफॉर्म भी तैयार किये हैं।
  - यह ऐप कृषि उपज के विक्रेताओं के पंजीकरण, बीज मिनी-किट के वितरण, जैव-खेती के लिये पंजीकरण और बीज एवं उर्वरक नमूनों को ऑनलाइन जमा करने के लिये सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

वायु शक्ति 2024

चर्चा में क्यों ?

राफेल लड़ाकू जेट और प्रचंड अटैक हेलिकॉप्टर सहित सभी फ्रंटलाइन विमान, 17 फरवरी को राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में आयोजित होने वाले भारतीय वायु सेना (IAF) अभ्यास वायु शक्ति में भाग लेंगे।

- यह एक त्रिवार्षिक अभ्यास है (प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार) जिसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना की पूर्ण स्पेक्ट्रम संचालन (दिन और रात) करने की क्षमता का प्रदर्शन करना और विमान, हेलीकॉप्टर, परिवहन विमान तथा मानव रहित हवाई वाहनों की भागीदारी देखना है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- वायुशक्ति-2024 युद्धाभ्यास एक प्रमुख फायर पावर डेमोस्ट्रेशन के रूप में जैसलमेर में आयोजित होगा, जहाँ निर्दिष्ट लक्ष्यों पर विभिन्न मिसाइलों और बमों, जैसे– Su-30MKI, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) तेजस, मिराज 2000 तथा मिग-29 सहित सभी प्रमुख लड़ाकू विमान अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।
- अभ्यास वायुशक्ति में भाग लेने वाले अन्य विमानों में राफेल, मिराज-2000, सुखोई-30 एमकेआई, जगुआर, हॉक, सी-130जे, चिनूक, अपाचे और एमआई-17 भी शामिल हैं। स्वदेशी रूप से निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली हथियार प्रणालियाँ आकाश और समर घुसपैठ करने वाले शत्रुओं के विमान को ट्रैक करने तथा उसे मार गिराने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।
- भारतीय वायुसेना द्वारा नियोजित अगला अभ्यास, गगनशक्ति अभ्यास है जिसमें संपूर्ण भारतीय वायुसेना लद्दाख से हिंद महासागर क्षेत्र और भुज से अरुणाचल प्रदेश तक सक्रिय हो जाएगी।
  - अखिल भारतीय स्तर का अभ्यास गगनशक्ति, पाँच वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है।
  - गगनशक्ति का संचालन भारतीय वायुसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के संपूर्ण विस्तारित क्षेत्र पर अपने हवाई प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिये किया जाता है।

राफेल:

- फ्रेंच ट्विन (जुड़वाँ) इंजन और मल्टीरोल लड़ाकू विमान।
- हवाई वर्चस्व, अंतर्विरोध, हवाई टोही, ज़मीनी समर्थन, तीव्र प्रहार, जहाज़-रोधी हमला और परमाणु निरोध मिशनों के लिये सुसज्जित।

सुखोई Su-30MKI:

- ट्विन-इंजन, दो-सीट, बहुउद्देश्यीय लड़ाकू विमान रूस के सुखोई द्वारा विकसित और भारतीय वायुसेना के लिये भारत के हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित किया गया है।
- हवाई श्रेष्ठता, ज़मीनी हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और समुद्री हमले जैसे मिशनों को पूरा करने के लिये डिज़ाइन किया गया।

तेजस

- HAL का तेजस एक बहुउद्देश्यीय हल्का लड़ाकू विमान है जिसे भारत की वैमानिकी विकास एजेंसी (ADA) द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
- IAF को पहली Mk-1A तेजस की डिलीवरी मार्च 2024 में होगी।

MIG 29S

- यह एक ट्विन-इंजन वाला, मल्टीरोल फाइटर जेट है, जिसे 1970 के दशक में सोवियत रूस द्वारा विकसित किया गया था। तब से इसे अपग्रेड किया गया है।

भारतीय रेलवे के नेटवर्क को बढ़ाने वाली परियोजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने केंद्र सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ रेल मंत्रालय की 6 परियोजनाओं को स्वीकृति दी।

- 6 राज्यों यानी राजस्थान, असम, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश और नगालैंड के 18 ज़िलों को शामिल करने वाली परियोजनाएँ भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को बढ़ाएँगी तथा राज्यों के व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करेंगी।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- मल्टी-ट्रैकिंग प्रस्तावों से परिचालन में आसानी होगी और भीड़भाड़ कम होगी, जिससे भारतीय रेलवे के सबसे व्यस्त खंडों पर आवश्यक ढाँचागत विकास उपलब्ध होगा।
- यह परियोजनाएँ प्रधानमंत्री के नए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं जो क्षेत्र में व्यापक विकास के माध्यम से क्षेत्र के वक्तियों को "आत्मनिर्भर" बनाएगी जिससे उनके रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
- ये परियोजनाएँ मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम हैं जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं की आवाजाही के लिये निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।
- अनुमोदित परियोजनाओं में शामिल मार्गों का उपयोग खाद्यान्न, खाद्य वस्तुएँ, उर्वरक, कोयला, सीमेंट, लोहा, स्टील, फ्लाई-ऐश, क्लिंकर, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक POL, कंटेनर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिये किया जाएगा।
- पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा कुशल परिवहन का माध्यम होने के कारण, रेलवे जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा देश की रसद लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने एवं CO_2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा।

मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

- अक्तूबर 2021 में लॉन्च किया गया मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिये पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन के उद्देश्य से एक पहल है।
  - इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाना है।
- गतिशक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिये रेलवे तथा रोडवेज़ सहित 16 मंत्रालयों की विकास परियोजनाओं को एक साथ लाता है।
- लॉन्च होने पर, गतिशक्ति योजना में वर्ष 2019 में घोषित 110 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शामिल हो गई।

राजस्थान अंतरिम बजट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी, जो राज्य के दो उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं, ने अंतरिम बजट प्रस्तुत किया।

मुख्य बिंदु:

- राज्य के वित्त मंत्री ने विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिये 1,000 करोड़ रुपए की घोषणा की। उन्होंने मज़दूरों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना की भी घोषणा की।
- बजट में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान-2 की भी घोषणा की गई, जिसमें 11,200 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ अगले चार वर्षों में 20,000 गाँवों में 5 लाख जल संचयन संरचनाएँ बनाने की योजना है।
- बजट में रिक्त पदों को भरने और रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिये विभिन्न विभागों में 70,000 पदों पर भर्ती करने का प्रस्ताव है।

अंतरिम बजट

- अंतरिम बजट एक ऐसी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो संक्रमण काल से गुज़र रही है या आम चुनाव से पहले अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है।
- अंतरिम बजट का उद्देश्य सरकारी व्यय और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना है जब तक कि नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट प्रस्तुत न कर दे।

लेखानुदान

- लेखानुदान, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 द्वारा परिभाषित है, केंद्र सरकार के लिये भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अग्रिम अनुदान है, जो आम तौर पर नए वित्तीय वर्ष तक कुछ महीनों तक चलता है।

नोट :

राजस्थान सरकार ने मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की

चर्चा में क्यों ?

अंतरिम बजट 2024-25 में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की।

मुख्य बिंदु:

- इस योजना के तहत 50 प्रतिभाशाली युवाओं को विश्व स्तरीय खेल सुविधाएँ प्रदान की जाएंगी।
- चयनित युवाओं को जयपुर में एक्सेलेरेशन सेंटर और एक्सेलेरेशन कोच तक पहुँच प्रदान की जाएगी, जहाँ उन्हें ओलंपिक स्तर की प्रतियोगिता के लिये तैयार किया जाएगा।
- राज्य सरकार ने जयपुर में खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिये 100 करोड़ रुपए भी आवंटित किये हैं, जो विभिन्न खेल विषयों हेतु अत्याधुनिक बुनियादी ढाँचे तथा उपकरण प्रदान करेगा।
- मिशन ओलंपिक 2028 योजना राजस्थान में खेल और शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा है।
  - मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कई अन्य पहलों की भी घोषणा की, जैसे 10 लाख छात्रों को मुफ्त खेल किट प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में 500 खेल के मैदानों का निर्माण करना और जोधपुर में एक खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करना।
- मंत्री के अनुसार सरकार राज्य में खेलों के लिये अनुकूल माहौल बनाने और युवाओं को अपने सपनों को पूरा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये प्रतिबद्ध है।

जल जीवन मिशन(JJM)

चर्चा में क्यों ?

राज्य में केंद्र के प्रमुख जल जीवन मिशन (JJM) को लागू करने के उद्देश्य से, राजस्थान सरकार ने जल इंजीनियरों को मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और सभी गाँवों को पाइप से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये ज़मीनी स्तर पर स्थिति की निगरानी करके गुणवत्ता परीक्षण करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु:

- JJM ने वर्ष 2024 के अंत तक सभी ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति की परिकल्पना की है और गाँवों में हर घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है, जहाँ लोगों को जल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।
- राजस्थान में, इस मिशन के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने की कार्य योजनाएँ प्रत्येक गाँव में जल की उपलब्धता, वर्षा, सूखे की स्थिति, भूजल स्तर, जल संचयन, जल जनित बीमारियाँ और जल संसाधनों की स्थिति पर आधारित हैं।
- राज्य सरकार ने ग्राम स्तरीय समितियों के सदस्यों को योजनाओं के संचालन, जल संरक्षण, पेयजल के कुशल उपयोग और बैंक खाता संचालन के बारे में जागरूक करने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।
  - ग्राम सभाओं द्वारा प्रस्तुत और अनुमोदित ज़िला तथा ग्राम कार्य योजनाओं ने भी विभिन्न क्षेत्रों की जल की आवश्यकताओं पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नोट :

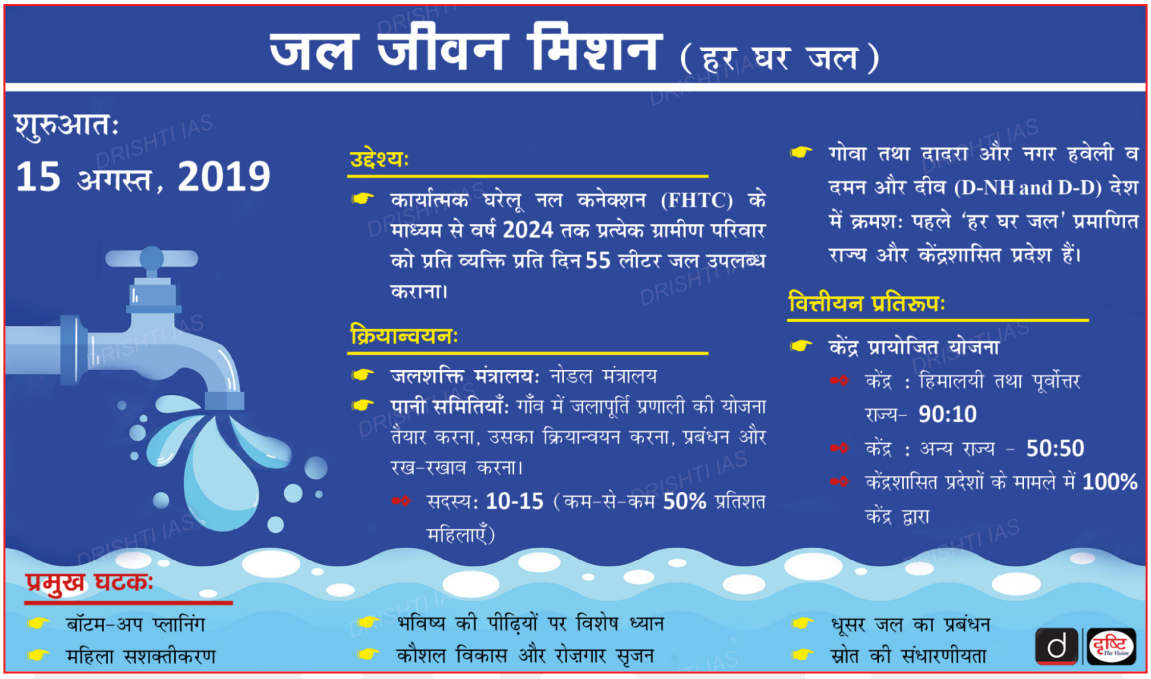

भ्रष्टाचार के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस नीति

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति पर कार्य कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- CM के अनुसार जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- CM ने अधिकारियों को नियमित जनसुनवाई, शिकायतों का त्वरित निस्तारण, उनकी मॉनिटरिंग और फीडबैक लेने के निर्देश दिये हैं।
  - सभी ज़िला स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से कम-से-कम एक घंटा जनसुनवाई करेंगे, ताकि व्यक्तियों को अपनी समस्या लेकर राजधानी न आना पड़े।
- विद्युत और पेयजल आपूर्ति की स्थिति, चिकित्सा सुविधाएँ, जल जीवन मिशन (JJM) की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा, कानून व्यवस्था तथा अन्य मुद्दों की भी समीक्षा की गई।

विकसित भारत संकल्प यात्रा

- यह सरकार की योजनाओं की संतृप्ति प्राप्त करने के लिये विस्तारित गतिविधियों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसके अंतर्गत पूरे देश में भारत की सभी ग्राम पंचायतें, नगर पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं।
- यह अभियान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र सरकार के संगठनों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर चलाया जा रहा है।

राजस्थान में कथित सामूहिक धर्मांतरण के प्रयास के आरोप में ईसाई धर्म प्रचारक गिरफ्तार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में राजस्थान में एक घटना घटी, जहाँ कथित तौर पर पैसे और उपचार देकर सैकड़ों लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करने के आरोप में दो प्रचारकों को गिरफ्तार किया गया तथा आठ अन्य को हिरासत में लिया गया।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- यह घटना भरतपुर की है, जहाँ प्रचारकों ने 450-500 व्यक्तियों के साथ बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किया था।
- विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने दावा किया कि प्रचारकों ने हिंदू देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया और लोगों को गुमराह किया।
- पुलिस ने दो प्रचारकों को गिरफ्तार कर लिया, उनकी पहचान की और उनके खिलाफ शत्रुता को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने तथा चोट पहुँचाने के लिये भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
- पुलिस ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के निवारक उपायों के तहत आठ अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया और बाद में ज़मानत पर रिहा कर दिया।

निवारक निरोध

- निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा परीक्षण और दोषसिद्धि के बिना हिरासत में रखना।
- इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पिछले अपराध के लिये दंडित करना नहीं है बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है।
- किसी व्यक्ति की हिरासत तीन महीने से अधिक नहीं हो सकती जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित हिरासत के लिये पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं करता।
- सुरक्षा:
  - अनुच्छेद 22 गिरफ्तार किये गये या हिरासत में लिये गए व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
    - अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं- पहला भाग सामान्य कानून के मामलों से संबंधित है और दूसरा भाग निवारक निरोध कानून के मामलों से संबंधित है।

धर्म की स्वतंत्रता

- भारत में धार्मिक स्वतंत्रता भारत के संविधान के अनुच्छेद 25-28 द्वारा गारंटीकृत एक मौलिक अधिकार है।
  - अनुच्छेद 25 (अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास एवं प्रचार)।
  - अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।
  - अनुच्छेद 27 (किसी भी धर्म के प्रचार के लिये करों के भुगतान की स्वतंत्रता)।
  - अनुच्छेद 28 (कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता)।

राजस्थान में पैनल गठित

चर्चा में क्यों ?

के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पिछली सरकार के तहत कथित भ्रष्टाचार की जाँच का वादा किया है।

मुख्य बिंदु:

- राजस्थान में पिछले प्रशासन के निर्णयों और योजनाओं की समीक्षा करने तथा उन्हें जारी रखा जाना चाहिये या नहीं, इसकी सिफारिश करने हेतु एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है।
  - महिलाओं के लिये मुफ्त मोबाइल फोन, राशन किट का वितरण और नए ज़िलों का गठन समीक्षा किये जाने वाले मामलों में से हैं।
- सरकार ने पिछली सरकार के दौरान प्रश्नपत्र लीक मामले की भी जाँच के आदेश दिये हैं।

नोट :

भारत में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिये कानूनी और नियामक ढाँचे

- कानूनी ढाँचा:
  - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act), 1988 में लोक सेवकों द्वारा किये जाने वाले भ्रष्टाचार के साथ ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल लोगों के लिये दंड का प्रावधान है।
    - वर्ष 2018 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत रिश्वत लेने और रिश्वत देने को अपराध की श्रेणी के तहत रखा गया।
  - धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act), 2002 का उद्देश्य भारत में धन शोधन (Money Laundering) के मामलों को रोकना और आपराधिक आय के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
  - कंपनी अधिनियम (The Companies Act), 2013 कॉर्पोरेट क्षेत्र को स्वनियमन का अवसर देकर इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की रोकथाम करता है। 'धोखाधड़ी' शब्द की एक व्यापक परिभाषा है, इसे कंपनी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय (Criminal) अपराध माना गया है।
  - भारतीय दंड संहिता (The Indian Penal Code- IPC), 1860 के अंतर्गत रिश्वत, धोखाधड़ी, विश्वासघात जैसे अपराध से संबंधित मामलों को कवर किया गया है।
  - बेनामी लेन-देन (निषेध) अधिनियम, 1988 उस व्यक्ति के दावे प्रतिबंधित करता है जिसने किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्ति अर्जित की है।
- नियामक ढाँचा:
  - लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013 ने संघ (केंद्र) के लिये लोकपाल और राज्यों के लिये लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की है।
    - ये "लोकपाल तथा लोकायुक्त" कुछ निश्चित श्रेणी के सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करते हैं।
  - केंद्रीय सतर्कता आयोग: इसका कार्य प्रशासन की निगरानी करना और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में कार्यपालिका को सलाह देना एवं मार्गदर्शन करना है।
  - आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1952: IPC की धारा 165 के तहत निर्दिष्ट सज़ा को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया।
  - वर्ष 1964 में संशोधन: IPC के तहत 'लोक सेवक' तथा 'आपराधिक कदाचार' की परिभाषा का विस्तार किया गया और एक लोक सेवक के लिये आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने को अपराध बना दिया गया।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में विकास परियोजनाओं का अनावरण किया

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का अनावरण और शिलान्यास किया।

मुख्य बिंदु:

- यह घोषणा 'विकसित भारत विकसित राजस्थान' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हुई और ये परियोजनाएँ सड़क, रेलवे, सौर ऊर्जा, विद्युत पारेषण, पेयजल तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- पीएम ने विकास परियोजनाओं के साथ राजस्थान की प्रगति के लिये रेल, सड़क, बिजली और पानी जैसे आवश्यक क्षेत्रों में तेज़ी से विकास के महत्त्व पर ज़ोर दिया।
- उन्होंने बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये वर्ष 2024 के केंद्रीय बजट में 11 ट्रिलियन रुपए के पर्याप्त आवंटन पर प्रकाश डाला।
- राजस्थान में बुनियादी ढाँचा:
  - राजमार्ग बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
    - इससे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।
    - ये सड़कें दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र के साथ बेहतर कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेंगी।

नोट :

- रेलवे के लिये पीएम ने करीब 2300 करोड़ रुपए की आठ परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
- उन्होंने राजस्थान में 2,100 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत पारेषण क्षेत्र की परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं।
- उन्होंने मुफ्त बिजली प्रदान करने और घरों में सौर पैनल स्थापना की सुविधा प्रदान करने के लिये पीएम सूर्य घर योजना के उद्देश्य को भी रेखांकित किया, जिससे विशेष रूप से मध्यम तथा निम्न-मध्यम वर्ग को लाभ होगा।
- पीएम ने जल जीवन मिशन (JJM) के तहत लगभग 2,400 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी।

पीएम सूर्य घर योजना

- यह एक अग्रणी सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य पूरे देश में एक करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है।
- रूफटॉप सौर पैनल एक इमारत की छत पर स्थापित फोटोवोल्टिक पैनल हैं जो मुख्य विद्युत आपूर्ति इकाई से जुड़े होते हैं।
- यह ग्रिड से जुड़ी बिजली की खपत को कम करता है और उपभोक्ता के लिये बिजली की लागत में कमी लाता है।
  - छत पर सौर संयंत्र से उत्पन्न अधिशेष सौर ऊर्जा इकाइयों को मीटरिंग प्रावधानों के अनुसार ग्रिड में निर्यात किया जा सकता है।
  - उपभोक्ता प्रचलित नियमों के अनुसार अधिशेष निर्यातित विद्युत के लिये मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सकता है।

प्रधानमंत्री ने राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बरसिंगसर में NLC (नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड) इंडिया लिमिटेड की 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी।

- NLC इंडिया कोयला मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न कंपनी है।

मुख्य बिंदु:

- NLC इंडिया की सौर परियोजना की कुल लागत 1,756 करोड़ रुपए अनुमानित है और इसे सितंबर 2024 में चालू किया जाना है।
- यह परियोजना रणनीतिक रूप से मौजूदा बरसिंगसर थर्मल पावर स्टेशन के पास स्थित है जो मौजूदा नेटवर्क और सामान्य बुनियादी सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा निकासी में लाभ प्रदान करता है।
  - यह परियोजना न केवल क्षेत्र को हरित और सस्ती ऊर्जा देगी बल्कि युवाओं को रोज़गार के बेहतरीन अवसर भी प्रदान करेगी।

नवरत्न कंपनी

- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न।
  - वर्ष 2023 तक, 13 महारत्न, 16 नवरत्न और 68 मिनीरत्न CPSE हैं।
- भारत में नवरत्न कंपनियाँ CPSE का एक समूह है जिसने वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा करने के लिये वित्तीय स्वायत्तता और लचीलेपन को बढ़ाया है। उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिये गए हैं, जैसे स्पष्ट सरकारी मंज़ूरी के बिना 1,000 करोड़ रुपए तक का निवेश।
- नवरत्न का दर्जा पहली बार वर्ष 1997 में पेश किया गया था।
  - नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिये एक फर्म को शुरू में मिनीरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिये, साथ ही छह प्रदर्शन मानदंडों के अनुसार 60 या उससे अधिक (100 में से) का स्कोर प्राप्त होना चाहिये, जिसमें मैट्रिक्स जैसे नेट प्रॉफिट से लेकर नेट वर्थ, प्रति शेयर आय और अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन शामिल हैं।

राजस्थान के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार अनिवार्य

चर्चा में क्यों ?

राज्य सरकार ने पूरे राजस्थान के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सुबह प्रार्थना सभा या सभा के दौरान 10 मिनट तक सूर्य नमस्कार अनिवार्य कर दिया है।

नोट :

मुख्य बिंदु:

- सूर्य सप्तमी के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने यह आधिकारिक जानकारी दी।
  - आयोजन के दौरान पूरे राज्य से 1.33 करोड़ लोगों ने सूर्य नमस्कार किया।
  - इस आयोजन का रिकॉर्ड लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को सौंपा गया है।

सूर्य सप्तमी

- इसे रथ सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जो सूर्य देवता को समर्पित है।
- यह दो शब्दों 'रथ' और 'सप्तमी' से मिलकर बना है।
- इस दिन तिरुमाला (आंध्र प्रदेश) में एक दिवसीय ब्रह्मोत्सव आयोजित किया जाता है।
- यह सूर्य के जन्म का प्रतीक है और इसे माघ सप्तमी कहा जाता है क्योंकि यह हिंदू माह माघ के सातवें दिन (सप्तमी) को आती है।
- सूर्य सप्तमी मौसम के वसंत में बदलाव और कटाई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है।

सड़क अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु वित्तीय विकल्प

चर्चा में क्यों ?

राजस्थान सरकार सड़क बुनियादी ढाँचे के विस्तार हेतु बढ़ी हुई धनराशि हासिल करने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) सहित कुछ नवीन वित्तीय विकल्पों पर विचार कर रही है।

मुख्य बिंदु:

- राजस्थान राज्य राजमार्गों के मामले में सातवें स्थान पर है और राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में देश में दूसरा सबसे बड़ा स्थान है।
- राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण ने बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को पूरा करने और नवीन निवेश तथा वित्तपोषण मॉडल की सुविधा के लिये नए उपाय अपनाना शुरू कर दिया है।
- लोक निर्माण विभाग (PWD) और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) प्रोजेक्ट्स द्वारा संयुक्त रूप से "सड़क बुनियादी ढाँचे के विकास के लिये वित्तपोषण मॉडल" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
  - IIFCL एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का बुनियादी ढाँचा वित्त संस्थान है, जिसने देश की राष्ट्रीय राजमार्ग क्षमता का लगभग 21% वित्त पोषित किया है, जिसमें लगभग 30,000 किमी. सड़कें शामिल हैं।
- राज्य सरकार अपने सड़क नेटवर्क को मज़बूत करने और इसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा गुजरात के समानांतर लाने के लिये IIFCL परियोजनाओं के साथ मिलकर कार्य करेगी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल

- यह सार्वजनिक संपत्ति और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिये सरकार एवं निजी क्षेत्र के मध्य एक व्यवस्था है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं, जैसे सड़कों, पुलों या अस्पतालों को निजी वित्तपोषण के साथ पूरा करने की अनुमति देती है।
  - इस प्रकार की साझेदारी में, निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिये निवेश किया जाता है।
  - ये साझेदारियाँ तब अच्छी तरह से कार्य करती हैं जब निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी और नवाचार समय पर तथा बजट के भीतर कार्य पूरा करने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन के साथ जुड़ते हैं।
  - चूँकि PPP मॉडल में सेवाएँ प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा ज़िम्मेदारी का पूर्ण प्रतिधारण शामिल है, यह निजीकरण की प्रक्रिया नहीं है।
  - इसमें निजी और सार्वजनिक इकाई के मध्य जोखिम का एक सुव्यवस्थित तरीके से आवंटन होता है।
  - निजी इकाई को खुली प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर चुना जाता है और वह प्रदर्शन आधारित भुगतान प्राप्त करती है।
  - PPP मार्ग उन विकासशील देशों में एक विकल्प हो सकता है, जहाँ सरकारों को महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये ऋण लेने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
  - यह बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने या उन्हें क्रियान्वित करने में आवश्यक विशेषज्ञता भी प्रदान कर सकता है।

नोट :

भारत-जापान: धर्म गार्जियन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय और जापानी थल सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन' का पाँचवां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। दस्तावेज़

मुख्य बिंदु:

- दो सप्ताह का यह अभ्यास भारत और जापान में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है।
  - जापानी दल का प्रतिनिधित्व 34वीं इन्फैंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा किया जा रहा है और भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स की एक बटालियन द्वारा किया जा रहा है।
- इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अर्द्ध-शहरी वातावरण में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिये सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना है।
- यह आयोजन उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, संयुक्त सामरिक अभ्यास और विशेष हथियार कौशल की बुनियादी बातों पर केंद्रित होगा।

राजपुताना राइफल्स

- यह भारतीय सेना की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है।
- यह मूल रूप से ब्रिटिश भारतीय सेना का एक हिस्सा था, जब पहले से मौजूद छह रेजिमेंटों को मिलाकर 6वीं राजपूताना राइफल्स की छह बटालियन बनाई गई थीं।
- वर्ष 1945 में शीर्षक से अंक पदनाम हटा दिया गया और वर्ष 1947 में रेजिमेंट को नई स्वतंत्र भारतीय सेना में स्थानांतरित कर दिया गया।
- आज़ादी के बाद से रेजिमेंट पाकिस्तान के खिलाफ कई संघर्षों में शामिल रही है, साथ ही वर्ष 1953-54 में संयुक्त राष्ट्र के तत्त्वावधान में कोरिया में कस्टोडियन फोर्स (भारत) और वर्ष 1962 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र का चार्टर

- संयुक्त राष्ट्र का चार्टर संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक दस्तावेज़ है। इस पर 26 जून, 1945 को सैन फ्राँसिस्को में हस्ताक्षर किये गए और 24 अक्तूबर, 1945 को यह लागू हुआ।
- संयुक्त राष्ट्र अपने अद्वितीय अंतर्राष्ट्रीय चरित्र और अपने चार्टर में निहित शक्तियों के कारण विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर कार्रवाई कर सकता है, जिसे एक अंतर्राष्ट्रीय संधि माना जाता है।
  - इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र चार्टर अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक साधन है और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश इससे बँधे हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ), संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्राथमिक न्यायिक निकाय, अपने कानून द्वारा संचालित होता है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अभिन्न अंग के रूप में संलग्न है।

✦ ✦ ✦ ✦

नोट :